20-4-18 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा एकतरफा बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम महालीखेड़ा पटवार हलका कुराड़िया तहसील भीलवाड़ा में स्थित होकर बिलानाम काबिल काश्त के दर्ज रेकार्ड है। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल संवत 2033 से 2036 से होती है। वादग्रस्त आराजी नं.55 रकबा 4 बीघा खाते बिलानाम काबिल काश्त से दर्ज रेकार्ड थी। जरिये इन्तकाल नं. 32 से 3 बीघा भूमि आवंटन गौरीशंकर के की गयी। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल संवत 2022 से 2025 से होती है। आवंटन के पश्चात भूमि गौरीशंकर को आराजी नं.55 में से 3 बीघा भूमि को पैमूद कर कब्जा दिया गया। जिसकी ताईद प्रस्तुत आवंटन पत्रावली की फोटो प्रति से होती है जबकि इन्तकाल नं. 146 दिनांक 15-4-1983 से आराजी नं. 817/1 रकबा 2 बीघा भूमि गैर खातेदारी हक से दर्ज नारायण पिता [illegible] कोठारी के नाम की स्वीकृति हुई है। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल खसरा 2037 से 2040 की फोटो प्रति से होती है। हालनम्बर 816 व 817 की नकल खसरा [illegible] 817/1 रकबा 2 बीघा। विरवा भूमि के काबिज नम्बर ... दर्ज रेकार्ड थे। जिसकी ताईद प्रस्तुत ... से होती है। काबिज कायम हुये। जो बिलानाम दर्ज रेकार्ड ... की फोटो प्रति से होती है। राजस्व अभिलेख मिलान हैसियत की ... गौरीशंकर को आवंटन होकर आराजी नं.55 में से 3 बीघा भूमि गौरीशंकर को ... जिसकी ताईद प्रस्तुत मौका पर्चा कब्जा रिपोर्ट किया गया। जिसकी ताईद प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रार्थनापत्र दिनांक 18-7-1974 से होती है। प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रार्थीगण के पूर्वजों को आराजी में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पूर्वजों को आराजी नं.55 में से 3 बीघा भूमि आवंटन की गयी। काबिज आराजी नं.55 में से 3 बीघा भूमि के हाल नम्बर 816 व 817 कायम हुये। किन्तु हाल आराजी नं.55 के हाल नम्बर 816 से संबंधित कोई रेकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। 816 नम्बर की आराजियात जिनके पर जाहिर नहीं होता है कि 816 नम्बर की आराजियात किसके नाम दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार उक्त वर्तमान में किस खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार उक्त दस्तावेजों से जाहिर है कि विवादित आराजियात प्रार्थीगण के पूर्वजों को आवंटन हुई। तथा कब्जा भी रिपोर्ट किया गया। किन्तु कब्जे की ताईद केवल मात्र दस्तावेजी साक्ष्य से

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

होगी। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है या नहीं यह तथ्य भी साक्ष्य से साबित हो। ऐसी स्थिति प्रार्थीगण किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाना विपक्षीगण के विरुद्ध प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने खारिज करना उचित समझती हूं, अतः

:: आदेश ::

प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र धारा 212 R.T.A. प्रार्थनापत्र को सिद्ध करने में असफल रहने के कारण प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner